पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 13.12.2024

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-12/13.12.2024 को-

01- थाना मोहनलालगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 568/24 धारा 123/303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्त 01.संगम 02. पंकज कश्यप 03. संदीप उर्फ भूरा

02- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में पंजीकृत मु0अ0सं0 645/2024 धारा 352/109 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त 01- जितेन्द्र सिंह

जोन पश्चिमी

थाना पारा-

दिनांक 12.12.2024 को वादिनी श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 रामपाल निवासिनी काशीराम कालोनी थाना पारा लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी जिसमें दिनांक 01.12.2024 को रात्रि लगभग समय करीब 11.00 बजे से 11.30 बजे के मध्य वादिनी के पति रामपाल अमीनाबाद से कपड़े की दुकान पर कार्यरत थे, कि मोटर साईकिल से घर वापस आते समय पारा पिंक बूथ के पास सामने से आ रहे ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी, मौके पर मौजूद लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी, परिजनों द्वारा निकट अस्पताल लोकबन्धु में दिखाया गया जहां डाक्टरों ने गम्भीर हालत देख ट्रामा सेन्टर रेफर कर दिया, जहां दिनांक 10.12.2024 को इलाज के दौरान वादिनी के पति रामपाल उपरोक्त की मृत्यु हो गयी, घटना पर मौजूद राहगीरों द्वारा ई-रिक्शा चालक नाम विकास ज्ञात हुआ, तथ्य अंकित है। **वादिनी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पारा में मु0अ0सं0 704/2024 धारा 281/125(2)/106(1) बीएनएस बनाम ई- रिक्शा के चालक विकास के विरूद्ध पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन दक्षिणी

थाना निगोहां-

दिनांक 13.12.2024 को आगन्तुक श्री शिव पूजन पुत्र श्री राम हर्ष निवासी-ग्राम इस्माइल नगर थाना नगराम लखनऊ ने थाना निगोहां पर एक लिखित प्रार्थनापत्र दिया जिसमें उनके मामा रामू उम्र करीब 44 वर्ष पुत्र स्व0 होरी निवासी-ग्राम-रामपुर गढ़ी जामुनी थाना निगोहां लखनऊ अपने ही गांव में स्थित अपने ही बोरवेल के पास में रोजाना सोते थे। दिनांक 13.12.2024 को उसके मामा रामू उपरोक्त उक्त बोरवेल में शव पड़ा मिला, जिनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, तथ्य अंकित हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस द्वारा शव को निकालकर परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया **है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सभी तथ्यों की गहनताा से जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट
दिनांकः-13.12.2024

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम (धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक कार्यक्रम, न्यूज/स्टेज शो, सेलिब्रिटी के द्वारा प्रमोशन, फिल्म/वेब सीरीज व अन्य शूटिंग, मैराथन, यात्रा, मेला/नुमाइश/प्रदर्शनी, ड्रोन उपयोग, सिनेमा हाल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम) आयोजित किए जाते हैं। जिसके संबंध में आयोजन के लिए ऑनलाइन लखनऊ पुलिस की वेबसाइट **http://lucknowpolice.up.gov.in/** पर **"नागरिक सेवाएं"** पेज पर प्रदर्शित होती है जिसमें प्रक्रिया पूरी कर आवेदन किया जा सकता है।

प्रायः देखने में आ रहा है कि विभिन्न संस्थाओं/आयोजकों द्वारा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम **(धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक कार्यक्रम, न्यूज/स्टेज शो, सेलिब्रिटी के द्वारा प्रमोशन, फिल्म/वेब सीरीज व अन्य शूटिंग, मैराथन, यात्रा, मेला/नुमाइश/प्रदर्शनी, ड्रोन उपयोग, सिनेमा हॉल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम) बिना अनुमति के आयोजित किए जा रहे हैं** जो कि नियमों का उल्लंघन है। जिसके कारण आने-जाने वाले स्कूल के बच्चों की वैन/मरीजों के लिए एम्बुलेंस/वीआईपी व वीवीआईपी मूवमेण्ट/ प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति/यातायात डायवर्जन/आकस्मिक दशा में पुलिस प्रबंधन में कठिनाई तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के व्यवस्थापन में भी बाधा उत्पन्न होती है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कानून एवं यातायात व्यवस्था बाधित होने की संम्भावना बनी रहती है तथा आम जनमानस को दैनिक गतिविधियों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में विभिन्न संगठनो/पदाधिकारियों व अन्य द्वारा धरना/विरोध प्रदर्शन/ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम उ0प्र0 शासन द्वारा चिन्हित धरना स्थल **"कांशीराम जन सुविधा परिसर एवं पार्किंग स्थल (ईको गार्डन)"** पर ही आहूत किया जाये तथा उसकी सूचना कार्यक्रम से पूर्व संबंधित पुलिस उपायुक्त/ सहायक पुलिस आयुक्त, स्तर के अधिकारी को दे। जिससे कार्यक्रम को सकुशल व शान्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

अतः लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सभी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन करने वाले आयोजकों/संस्थाओ से अपील है कि कार्यक्रम तिथि से **15 दिवस** पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अपना ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे पुलिस द्वारा सुगमतापूर्वक समय से अनुमति प्रदान की जा सके और आयोजकों को कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके उपरांत भी आयोजकों द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।